बिल का सारांश

हरियाणा उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) निरसन बिल, 2023

- हरियाणा उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) निरसन बिल, 2023 को 28 अगस्त, 2023 को हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया। यह हरियाणा उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) एक्ट, 1956 को निरस्त करने का प्रयास करता है। एक्ट लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर्स के उपयोग को प्रतिबंधित करता है: (i) इस तरह से कि उनकी आवाज़ उस परिसर से परे सुनाई दे, जहां उनका उपयोग किया जा रहा है, या (ii) किसी सड़क, बाज़ार या खुली जगह पर। एक्ट के तहत इस तरह के उपयोग की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की लिखित अनुमति से दी जाती है। उपरोक्त उपकरणों का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि डीएम से लिखित अनुमति न ली गई हो। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि 1956 के एक्ट के सभी प्रावधान पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन और नियंत्रण), नियम, 2000 के अंतर्गत आते हैं। यह एक्ट और नियम पूरे भारत पर लागू होते हैं।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अर्पिता मलिक
arpita@prsindia.org

28 अगस्त, 2023